राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JAMSHEDPUR

(An Institute of National Importance under MOE, Government of India)

Address:-Adityapur, Dist.- Saraikela-Kharsawan- 831014, Jharkhand

SUO MOTO DISCLOSURE/RTI Manuals

(अंतिम अद्यतन तिथि 09/09/2025)

Sr. No	Items	Details of disclosure
1	संस्था और कार्य	
1.1	इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण धारा 4(1)(ब)(i)	
1.1.1	संगठन का नाम और पता	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर** **डाक पता:** एनआईटी जमशेदपुर, झारखंड, भारत, **पिन:** 831014 अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
1.1.2	संगठन प्रमुख	प्रो. (डॉ.) गौतम सूत्रधर निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर कृपया निदेशक की प्रोफ़ाइल देखने के लिए यहां क्लिक करें पूर्व निदेशकों की सूची - यहां क्लिक करें विभागवार विभागाध्यक्षों का कार्यकाल-https://www.nitjsr.ac.in/RTI
1.1.3	विजन , मिशन और मुख्य उद्देश्य	विजन- शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचारी अनुसंधान के लिए एक प्रमुख तकनीकी संस्थान बनना, जो समाज की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो मिशन: अधिगम और रचनात्मकता के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम पेशेवर और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना। समाज के कल्याण हेतु नवाचारी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का विकास करना उद्देश्य-अधिगम एवं रचनात्मकता के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष पेशेवर तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना। समाज के कल्याण हेतु नवाचारी उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
1.1.4	कार्य और कर्तव्य	संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ / कार्य हैं – शिक्षण, अनुसंधान, विकास तथा परामर्श। इसके प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं: a) बी.टेक (B.Tech): सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, धातुकर्म एवं सामग्री इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग । b) एम.टेक (M.Tech): भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, जल संसाधन इंजीनियरिंग, क्षरण विज्ञान एवं कोटिंग प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सूचना प्रणाली सुरक्षा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, संचार प्रणालियों की इंजीनियरिंग, वीएलएसआई एवं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ड्राइव्स ,पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ऊर्जा प्रणालियों की इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, रक्षा प्रौद्योगिकी - कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग, औद्योगिक धातुकर्म, सामग्री प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन । c) एम.एससी (M.Sc): गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान d) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर (MCA) e) पीएच.डी. (Ph.D): विवरण के लिए यहां क्लिक करें।
1.1.5	संगठन संरचना चार्ट	संगठन संरचना देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें ।

1.1.6	अन्य विवरण: विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर कार्यरत विभागाध्यक्षों के साथ-साथ गठित समितियों/आयोगों से संबंधित सभी विवरणों को सम्मिलित किया गया है।	• Acts and Statues • Visitor • Board of Governors • Senate • Finance Committee • Buildings and Works_Committee राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जिसे पहले प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान (Regional Institute of Technology - RIT) के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 15 अगस्त 1960 को भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी। यह भारत में प्रादेशिक अभियंत्रण महाविद्यालयों (Regional Engineering Colleges - RECs) की श्रृंखला में स्थापित संस्थानों में से एक था, जिसका उद्देश्य उच्चतम मानकों वाले तकनीकी स्नातकों का निर्माण करना था, जो क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नेतृत्व प्रदान कर सकें। यह संस्थान भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956 - 1961) के अंतर्गत स्थापित प्रथम आठ RECs में से एक था। यह देश का एकमात्र REC था जिसे RIT (Regional Institute of Technology) के नाम से जाना गया। अतः, RIT जमशेदपुर वास्तव में अविभाजित बिहार एवं झारखंड का प्रादेशिक अभियंत्रण महाविद्यालय था। . RIT (REC) जमशेदपुर की आधारशिला डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा, तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य प्रतिभा का पोषण करना एवं शिक्षा और उत्कृष्टता के उच्च मानदंड स्थापित करना था। 27 दिसंबर 2002 को, भारत के अन्य सभी RECs की तर्ज पर, RIT जमशेदपुर (जिसे REC जमशेदपुर भी पढ़ा जा सकता है) को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर (NIT Jamshedpur) में परिवर्तित किया गया, और इसे भारत सरकार के निर्णय अनुसार मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) का दर्जा प्रदान किया गया। 1 अप्रैल 2003 से, यह संस्थान पूर्णतः भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा वित्तपोषित एवं शासित है। 15 अगस्त 2007 को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम (NIT Act) के अंतर्गत, NIT जमशेदपुर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (Institute of National Importance) घोषित किया गया
1.2	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य [धारा 4(1)(b)(ii) के अंतर्गत]**	
1.2.1	अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक)	एनआईटी अधिनियम एवं विधियों के अनुसार - Acts and Statues, NIT Jamshedpur
1.2.2	अन्य कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन में सहायता प्रदान करना।
1.2.3	नियम/आदेश जिनके अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं।	a) एनआईटी अधिनियम एवं विधियों के अनुसार https://www.nitjsr.ac.in/Institute/Acts_and_Statues b) वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन Delegation of Financial Powers) के अनुसार c) छात्रावास नियम एवं विनियम अधिक विवरण के लिए यहां क्लिक करें d) शिक्षण पदों की भर्ती अधिक विवरण के लिए यहां क्लिक करें e) अशैक्षणिक पदों की भर्ती नियमावली अधिक विवरण के लिए यहां क्लिक करें f) एनआईटी जमशेदपुर द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसार विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

		g) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों/आदेशों/प्रक्रियाओं तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार।
1.2.4	कार्य आवंटन	a) एनआईटी अधिनियम एवं विधियों के अनुसार यहाँ क्लिक करें b) एनआईटी जमशेदपुर द्वारा जारी अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसार। c) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों/आदेशों/प्रक्रियाओं तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार।
1.3	**निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई विधि [धारा 4(1)(b)(iii)]**	
1.3.1	निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य निर्णय बिंदुओं की पहचान	निर्णय अधिनियम/विधियों/नियमों/शैक्षणिक नियमों एवं विनियमों/संस्थान की नीतियों, नियमों आदि तथा शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों एवं समय-समय पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) एवं सीनेट द्वारा लिए गए निर्णयों तथा संस्थान की प्रक्रियाओं/परंपराओं के अनुसार लिए जाते हैं। नीतिगत मामलों का निर्णय निदेशक/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) स्तर पर लिया जाता है।
1.3.2	अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण	संगठन संरचना, वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन एवं एनआईटी अधिनियम तथा विधियों के अनुसार।
1.3.3	संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि .	विवरण के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: • NIT Acts and Statues • Delegation of financial powers
1.3.4	यदि कोई हो, तो निर्णय लेने की समय सीमा	लक्ष्य संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। Academic Calendar 2024-25
1.3.5	निरीक्षण एवं जवाबदेही की शृंखला	संगठन चार्ट के अनुसार ।
1.4	**कार्य निर्वहन के मानदंड [धारा 4(1)(b)(iv)]**	
1.4.1	प्रदान किये जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास तथा परामर्श, केंद्रीय पुस्तकालय तक पहुँच, छात्रों की सुरक्षा एवं संरक्षा, चिकित्सीय सुविधा।
1.4.2	कार्य / सेवा प्रदान करने के लिए मानदंड / मानक	संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मानदंड एवं मानक एनआईटी अधिनियम एवं विधियों के अनुसार एनआईटी जमशेदपुर की सीनेट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
1.4.3	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है ।	सेवाओं तक पहुँच निम्नलिखित में निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का पालन करके प्राप्त की जा सकती है: • Admission Policy, • Research • Medical Facilities • Safety and Security
1.4.4	लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा	लक्ष्य संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। वार्षिक कैलेण्डर 2024-25
1.4.5	शिकायत निवारण की प्रक्रिया	पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। संकाय, कर्मचारी एवं छात्रों की विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए समिति का गठन किया गया है। click here for details, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण एक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) द्वारा किया जाता है, जिसका गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। Click here for more information

1.5	**कार्य निर्वहन हेतु अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(b)(v)]**	
1.5.1	अभिलेख / पुस्तिका / निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति	a) सामान्य वित्तीय नियम 2017- अधिक विवरण के लिए यहां क्लिक करें b) पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम,(UG/PG/Research) c) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/मानदंड/आदेश/प्रक्रियाएं d) प्रशासनिक प्रक्रियाएं केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अनुसार
1.5.2	अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिकाएँ और अभिलेखों की सूची	**नियम, विनियम** • पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम (UG/PG/Research) • राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम और नियमावली • वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन • जी.एफ.आर. नियम 2017 • छात्रावास नियम एवं विनियम • शैक्षणिक पदों की भर्ती नियमावली • गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती नियमावली **निर्देश पुस्तिकाएँ और अभिलेख** • शैक्षणिक कैलेंडर 2024-25 • Holidays • पाठ्यक्रम एवं बी.टेक. पाठ्य-सिलेबस • Academic Documents
1.5.3	अधिनियम / नियम / पुस्तिकाएँ आदि	• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम और नियमावली • जी.एफ.आर. नियम 2017 • छात्रावास नियम एवं विनियम • शैक्षणिक पदों की भर्ती नियमावली • गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती नियमावली
1.6	**प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(b)(vi)]**	
1.6.1	दस्तावेजों की श्रेणियाँ	a) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम और नियमावली b) वार्षिक रिपोर्ट c) प्रदत्त उपाधियों का रिकॉर्ड d) समझौता ज्ञापन MoU https://www.rnc-nitjsr.in/collaboration e) व्यक्तिगत फाइलें f) सेवा पुस्तिकाएँ g) क्रय फाइलें h) Academic Documents
1.6.2	दस्तावेज़ों / श्रेणियों के संरक्षक	रजिस्ट्रार, एनआईटी जमशेदपुर
1.7	**सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(b)(viii)]**	
1.7.1	बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम:	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सीनेट, वित्त समिति, भवन एवं निर्माण समिति, क्रय समिति आदि।
1.7.2	संरचना	एनआईटी अधिनियम एवं विधियों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सीनेट, वित्त समिति एवं भवन एवं निर्माण समिति की संरचना(Click here for NIT Acts and Statues) अन्य समितियों की संरचना विभिन्न निकायों के लिए भिन्न होती है। अन्य समितियों की वास्तविक संरचना संस्थान के सूचना पट्ट से प्राप्त की जा सकती है।Notices & Announcements)
1.7.3	गठन की तिथियाँ	• Board of Governors– Estd. Year –23rd April 2009 • Finance Committee– Estd. Year – 23rd April 2009

		• Building and works committee–Estd. Year – 23rd April 2009 • Senate – Estd. Year – 23rd April 2009
1.7.4	कार्यकाल / अवधि	• कृपया देखें: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम और नियमावली
1.7.5	शक्तियाँ और कार्य	एनआईटी अधिनियमों एवं विधियों तथा अन्य समितियों के अनुसार, विभिन्न समितियों की शक्तियां अलग-अलग हैं।
1.7.6	क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	नहीं
1.7.7	क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं?	हाँ
1.7.8	वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हों?	• click here to view the Minutes of BoG. • click here to view the Minutes of FC. • click here to view the Minutes of BWC. • click here to view the Minutes of the Senate.
1.8	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका[धारा 4(1)(बी)(ix)]**	
1.8.1	नाम एवं पदनाम	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध.(जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
1.8.2	Telephone , fax and email ID	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध. (जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
1.9	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]**	
1.9.1	सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची	सभी नियमित कर्मचारियों की वेतन संरचना 7वें वेतन आयोग के अनुसार है. विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
1.9.2	इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली	सभी कर्मचारी एलटीसी, बच्चों की शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि के हकदार हैं।
1.10	**Name, designation and other particulars of public information officers[Section 4(1) (b) (xvi)]**	
1.10.1	Name and designation of the public information officer (PIO), Assistant Public Information officer (APIO) & Appellate Authority	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध. विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
1.10.2	Address, telephone numbers and email ID of each designated official.	विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
1.11	**कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है(धारा 4(2))**	
1.11.1	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) लघु दंड या वृहद दंड की कार्यवाही के लिए लंबित है	NIL
1.11.2	(ii) छोटे जुर्माने या बड़े जुर्माने की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	Minor penalty = 01 Major penalty = 02
1.12	**आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)**	
1.12.1	शैक्षिक कार्यक्रम	संस्थान के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तकनीकी और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान समय-समय पर सत्र आयोजित किए जाते रहे हैं। समय-समय पर कर्मचारियों के बीच बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
1.12.2	सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के	संस्थान के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तकनीकी और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान समय-समय पर सत्र आयोजित किए जाते रहे हैं। आरटीआई से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। एनआईटी जमशेदपुर में आरटीआई से संबंधित

	प्रयास	कार्यों के लिए एक अलग सीपीआईओ कार्यालय है
1.12.3	सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण	सीपीआईओ को वर्ष 2014-15 में प्राधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। (एमसी चौहान, सहायक रजिस्ट्रार/जे. पात्रो, रजिस्ट्रार, एनआईटी सिलचर/मनीष मिश्रा, अधिवक्ता) से । एपीआईओ का प्रशिक्षण समय-समय पर किया जाता है।
1.12.4	संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन एवं प्रकाशित करना	इसे संस्थान की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत अद्यतन किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
1.13	**स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]**	
1.13.1	**स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश** [F No. 1/6/2011- IR Dt. 15.4.2013]	NIT जमशेदपुर की अपनी कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। हालांकि, संस्थान की आवश्यकताओं और सीवीसी (CVC) दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है।
2.1	**प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय और किए गए व्यय/वितरण पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [धारा 4(1)(b)(xi)]**	
2.1.1	सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।(विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
2.1.2	प्रत्येक एजेंसी, योजना और कार्यक्रम के लिए बजट	प्रत्येक कार्यक्रम के लिए बजट अलग-अलग है।
2.1.3	प्रस्तावित व्यय	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।(Budget 2024-25)
2.1.4	यदि कोई हो, तो प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।(Budget 2024-25)
2.1.5	किए गए व्ययों की रिपोर्ट और वह स्थान जहाँ संबंधित रिपोर्टें उपलब्ध हैं।	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।((विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें)
2.1.6	खरीद से संबंधित सूचना - (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो उसमें शुद्धिपत्र, (ख) प्रदान की गई बोलियों का ब्यौरा जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल होंगे, (ग) संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त के किसी भी संयोजन में - और, (घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है.	जानकारी संस्थान की वेबसाइट के निविदा अनुभाग (Tender Section) में उपलब्ध है। विवरण के लिए कृपया । विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
2.2	**विदेशी और घरेलू दौरे (F.No. 1/8/2012- IR dt. 11.9.2012)**	

<table>
<tr><td>2.2.1</td><td>बजट</td><td>यह संस्थान के सामान्य बजट से वहन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2.2.2</td><td>सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों, साथ ही विभागाध्यक्षों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे।- (क) दौरा किए गए स्थान, (ख) यात्रा की अवधि, (ग)आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या, (घ) यात्रा पर व्यय</td><td>
<table>
<tr><th>Sl. No</th><th>Employee No</th><th>Places visited</th><th>The period of visit</th><th>The number of members in the official delegation</th><th>Expenditure on the visit</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Prof. Ram Vinoy Sharma</td><td>Rutgers University,New Brunswick,New Jersy, USA</td><td>To attend 6th International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer</td><td></td><td>1,60,000.00</td></tr>
<tr><td>Napoli, Italy</td><td>To attend 7th International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer</td><td></td><td>2,05,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Prof Shalendra Kumar</td><td>Rutgers University,New Brunswick,New Jersy, USA</td><td>To attend 6th International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer</td><td></td><td>1,60,000.00</td></tr>
<tr><td>Napoli, Italy.</td><td>To attend 7th International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer</td><td></td><td>2,05,000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Prabha Chand</td><td>Fort Worth, USA</td><td>24 Sept 2017to 3 Oct 2017</td><td>Self</td><td>2.10 lac</td></tr>
</table>
• Faculty members who attended academic conferences during 2024-25 -Click here for details
</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td colspan="2">सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया [धारा 4(1)(b)(xii)]</td></tr>
<tr><td>2.3.1</td><td>कार्यक्रम या गतिविधि का नाम</td><td>लागू नहीं, क्योंकि यह एक शैक्षिक संस्थान है।</td></tr>
<tr><td>2.3.2</td><td>कार्यक्रम का उद्देश्य</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.3</td><td>लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.4</td><td>कार्यक्रम/योजना की अवधि</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.5</td><td>कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.6</td><td>सब्सिडी की प्रकृति/परिमाण / आवंटित राशि</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.7</td><td>सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.3.8</td><td>सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td colspan="2">विवेकाधीन (Discretionary) और गैर-विवेकाधीन (Non-Discretionary) अनुदान।
[F. No. 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]</td></tr>
<tr><td>2.4.1</td><td>राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थाओं को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2.4.2</td><td>उन सभी विधिक निकायों के वार्षिक लेखा-जोखा, जिन्हें</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

	सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है।	
2.5	**सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण[धारा 4(1)(b)(xiii)]**	
2.5.1	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रियायतें, परमिट या प्राधिकरणें	आरक्षित वर्ग और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता के अनुसार ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है। जिन विद्यार्थियों की पारिवारिक आय 1 लाख से कम है, उन्हें पूरी ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी तथा जिन विद्यार्थियों की पारिवारिक आय 5 लाख से कम है, उन्हें दो तिहाई ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। कृपया विवरण के लिए यहां क्लिक करें। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
2.5.2	प्रत्येक दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए - (क) पात्रता मानदंड, (ख) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरण के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया, (ग) रियायत/परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता, (घ) रियायत/परमिट या प्राधिकरण प्रदान करने की तिथि	a) विवरण के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें b) विवरण के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें c) ट्यूशन फीस में रियायत प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या (2024-25) –**1351** d) रियायतें प्रदान करने की तिथि – वह तिथि जिस दिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
2.6	**सीएजी एवं पीएसी पैरा [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]**	
2.6.1	सीएजी और पीएसी के पैरा तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं।	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विवरण के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
3.1	**नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [**[धारा 4(1)(b) **(vii)] [F No 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]**	
3.1.1	प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं	• Board of Governors • Senate • Finance Committee • Buildings and Works Committee • Hostel Rules and Regulations
3.1.2	परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था - (क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में आम जनता, (ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय, (ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण	पाठ्यक्रमों, विषयों की समीक्षा करने तथा उद्योग प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसरों का पता लगाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के साथ समय-समय पर बातचीत। हितधारकों को ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. (क) संबंधित उद्योग/संस्थान/फर्म के उच्च अधिकारी जैसे प्रबंध निदेशक (MD), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), निदेशक (Director) (ख) सभी कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान, अर्थात प्रातः 08:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक (ग) आईएफसी – सुविधा/प्रवेश डेस्क (संपर्क विवरण - 06572472260) विवरण के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
3.1.3	सार्वजनिक-निजी भागीदारी	NA

	(पीपीपी) - विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो	
3.1.4	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs):	लागू नहीं।
3.1.5	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – रियायत अनुबंध:	लागू नहीं।
3.1.6	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – संचालन एवं अनुरक्षण पुस्तिका:	लागू नहीं।
3.1.7	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – पीपीपी कार्यान्वयन के अंतर्गत तैयार किए गए अन्य दस्तावेज़:	लागू नहीं।
3.1.8	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है	लागू नहीं।
3.1.9	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – आउटपुट और आउटकम से संबंधित जानकारी:	लागू नहीं।
3.1.10	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया:	लागू नहीं।
3.1.11	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) – पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान:	लागू नहीं।
3.2	**क्या वे नीतियाँ / निर्णय, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उनकी जानकारी उन्हें दी जाती है? [धारा 4(1)(c)**	
3.2.1	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके - पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध. • Board of Governors • Senate • Finance Committee • Buildings and Works_Committee

3.2.2	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके - सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध. • Board of Governors • Senate • Finance Committee • Buildings and Works_Committee
3.2.3	महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण या ऐसे निर्णयों की घोषणा के दौरान, जो जनता को प्रभावित करते हैं, प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण बनाने हेतु सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकाशन किया जाए — नीति निर्माण से पूर्व परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करें	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध. • Board of Governors • Senate • Finance Committee • Buildings and Works_Committee
3.3	**जानकारी का व्यापक रूप से और इस प्रकार से प्रचार-प्रसार किया जाए कि वह जनता के लिए सहज रूप से सुलभ हो [धारा 4(3)]"**	
3.3.1	संचार के सबसे प्रभावी माध्यमों का उपयोग – इंटरनेट (वेबसाइट)	संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से: कृपया विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
3.4	सूचना की सुलभता के लिए निर्धारित स्वरूप – नियमावली या पुस्तिका के माध्यम से [धारा 4(1)(b)]	
3.4.1	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है	• Annual Report - click here • Please click here to view the Minutes of Board of Governors. • Please click here to view the Minutes of Finance Committee • Please click here to view the Minutes of Buildings and Works_Committee • Please click here to view the Minutes of the Senate • Academic Calendar 2024-25 • Holidays • curriculum and B.Tech course syllabus • Academic Documents
3.4.2	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है	• Annual Report • Minutes of Board of Governors. • Minutes of Finance Committee • Minutes of Buildings and Works_Committee • Minutes of the Senate • Academic Calendar 2024-2025 • Holidays • curriculum and B.Tech course syllabus • Academic Documents
3.5	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(b)]	
3.5.1	निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची	• Annual Report • Minutes of Board of Governors. • Minutes of Finance Committee • Minutes of Buildings and Works_Committee • Minutes of the Senate • Academic Calendar 2024-2025 • Holidays • Curriculum and B.Tech course syllabus • Academic Documents
3.5.2	माध्यम की उचित लागत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची	RTI नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार सामग्री की मुद्रित प्रति। RTI Rules 2012 .
4.1	जानकारी पुस्तिका/हैंडबुक किस भाषा में उपलब्ध है। [F No. 1/6/2011-IR dt. 15.4.2013]	

4.1.1	हिन्दी	हाँ यहाँ क्लिक करें
4.1.2	अंग्रेज़ी	हाँ यहाँ क्लिक करें
4.1.3	मातृभाषा / स्थानीय भाषा	हाँ, आरटीआई मैनुअल का हिंदी संस्करण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। **आरटीआई अनुभाग**- https://nitjsr.ac.in/RTI
4.2	**सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था?F No. 1/6/2011-IR dt 15.4.2013]**	
4.2.1	वार्षिक अद्यतन (Annual Updation) की अंतिम तिथि।	सितम्बर 2025
4.3	**इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(ब)(xiv)]**	
4.3.1	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण।	**वार्षिक प्रतिवेदन** - click here • बैठक के कार्यवृत्त Board of Governors. • बैठक के कार्यवृत्त Finance Committee • बैठक के कार्यवृत्त Buildings and Works Committee • बैठक के कार्यवृत्त Senate • Academic Calendar 2024-2025 • Holidays • curriculum and B.Tech course syllabus • Academic Documents • Health-and-Welfare • Library • Anti-Ragging • Student Council • Guest House
4.3.2	दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक।	
4.3.3	जहां पर उपलब्ध है, वह स्थान।	संस्थान की वेबसाइट पर।
4.4	**नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(ब)(xv)]**	
4.4.1	सुविधा का नाम एवं स्थान।	https://www.nitjsr.ac.in/RTI
4.4.2	उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण।	• Research And Consultancy - यहाँ क्लिक करें • Health-and-Welfare • Library • Guest House
4.4.3	सुविधा के कार्य करने के घंटे।	8:30 AM to 5:30 PM
4.4.4	संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स, ईमेल)।	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध। • Faculty contact details • Office administration contact details • Other administration
4.5	**ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है**	
4.5.1	शिकायत निवारण तंत्र।	पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित विभागों के प्रमुखों से संपर्क कर सकते हैं। संकाय, कर्मचारी एवं छात्रों की विभिन्न शिकायतों के निवारण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा किया जाता है, जिसका गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

4.5.2	पूर्ण की गई योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची।	विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.
4.5.3	चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
4.5.4	किए गए सभी अनुबंधों का विवरण, जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध राशि तथा अनुबंध की पूर्णता की अवधि शामिल है।	कृपया वर्ष 2024-25 के दौरान संस्थान द्वारा किए गए अनुबंधों की सूची से संबंधित विवरण हेतु **यहाँ क्लिक करें।**
4.5.5	वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)।	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
4.5.6	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)।	संस्थान की वेबसाइट पर RTI शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
4.5.7	कोई अन्य जानकारी जैसे - (क) नागरिक चार्टर, (ग) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन पर छमाही रिपोर्ट	a) Citizen charter- https://nitjsr.ac.in/backend/uploads/rti/new/Citizen's%20Charter%20Annexure%201.pdf b) छमाही रिपोर्ट - वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसे बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा।
4.6	RTI आवेदनों एवं अपीलों की प्राप्ति एवं निस्तारण।**[F.No 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]**	
4.6.1	प्राप्त एवं निस्तारित किए गए आवेदनों का विवरण।	संस्थान के आरटीआई त्रैमासिक रिटर्न पर विवरण उपलब्ध है। Abstract of quarterly return
4.6.2	प्राप्त अपीलों एवं जारी किए गए आदेशों का विवरण।	संस्थान के आरटीआई त्रैमासिक रिटर्न पर विवरण उपलब्ध है। Abstract of quarterly return
4.7	**संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(घ)(2)]।**	
4.7.1	पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध। . जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
5.1	**ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि निर्धारित की जा सकती है।** **[F.No. 1/2/2016-IR dt. 17.8.2016, F No. 1/6/2011-IR dt. 15.4.2013]**	
5.1.1	नाम एवं विवरण – (क) वर्तमान मुख्य जन सूचना अधिकारी (CPIOs) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAAs), (ख) दिनांक 01.01.2015 से पूर्व के CPIOs एवं FAAs।	संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध। जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
5.1.2	स्वैच्छिक प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट का विवरण – (क) किए गए ऑडिट की तिथियां, (ख) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट।	(क) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट।-**25.09.2024.** **- Dr. Sunil Dutt, Formerly Professor, NITTTR, Chandigarh द्वारा ऑडिट किया गया** (ख) ऑडिट रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

<table>
<tr><td>5.1.3</td><td>संयुक्त सचिव / अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से कम नहीं होने वाले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति –
(क) नियुक्ति की तिथि,
(ख) अधिकारियों का नाम एवं पदनाम।</td><td>नियुक्ति की तिथि: 23.10.2024
अधिकारियों का नाम एवं पदनाम।: प्रो. आर. वी. शर्मा, उप निदेशक, एनआईटी जमशेदपुर।

जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें</td></tr>
<tr><td>5.1.4</td><td>suo-motu disclosure पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति - (क) गठन की तिथि, (ख) अधिकारियों के नाम और पदनाम</td><td>गठन की तिथि:17.08.2023
अधिकारियों के नाम और पदनाम:
<table><tr><th>Sl. No.</th><th>Faculty Name</th><th>Additional Responsibility Position</th></tr><tr><td>1</td><td>Deputy Director</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>2</td><td>Dean (Academic)</td><td>Member</td></tr><tr><td>3</td><td>Dean (Faculty Welfare)</td><td>Member</td></tr><tr><td>4</td><td>Dean (Student Welfare)</td><td>Member</td></tr><tr><td>5.</td><td>Registrar</td><td>Member</td></tr><tr><td>6.</td><td>Central Public Information Officer (CPIO)</td><td>Member Secretary</td></tr></table>
जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें</td></tr>
<tr><td>5.1.5</td><td>आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति - (ए) गठन की तारीख, (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम</td><td>गठन की तारीख:17.08.2023
अधिकारियों के नाम और पदनाम:
<table><tr><th>Sl. No.</th><th>Faculty Name</th><th>Additional Responsibility Position</th></tr><tr><td>1</td><td>Registrar</td><td>Chairperson</td></tr><tr><td>2</td><td>Assistant Registrar (Academic)</td><td>Member</td></tr><tr><td>3</td><td>Assistant Registrar (Establishment)</td><td>Member</td></tr><tr><td>4</td><td>Assistant Registrar (Finance & Accounts)</td><td>Member</td></tr><tr><td>5.</td><td>Central Public Information Officer (CPIO)</td><td>Member Secretary</td></tr></table>
Click here for details</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td colspan="2">ऐसी जानकारी/वस्तु का प्रकटीकरण, जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने हेतु RTI अधिनियम का न्यूनतम प्रयोग करना पड़े।</td></tr>
<tr><td>6.1.1</td><td>ऐसी वस्तुएं/जानकारियाँ जिनका प्रकटीकरण किया गया है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का न्यूनतम सहारा लेना पड़े।</td><td>संस्थान की वेबसाइट पर विभिन्न हितधारकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाती है।
. https://www.nitjsr.ac.in/RTI</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td colspan="2">भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (GIGW) का पालन किया जाता है (जो फरवरी 2009 में जारी किए गए थे और प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (CSMOP) में शामिल किए गए हैं)।</td></tr>
<tr><td>6.2.1</td><td>क्या STQC प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसकी वैधता।</td><td>यह प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>6.2.2</td><td>क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र प्रदर्शित किया गया है?</td><td>यह प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
</table>